# न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)

## पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 05/2019

प्रार्थीगण :–

1. गंगाराम पुत्र घेंवरराम
2. गुटी पुत्री रामूराम
3. घमण्डाराम पुत्र रामूराम
4. मीमा पत्नि घेंवरराम
5. मीरां पुत्री घेंवरराम
6. राधा पुत्री रामूराम
7. शान्ति पुत्र घेंवरराम
8. हरकाराम पुत्र रामूराम
9. हीरालाल पुत्र रामूराम

जातियान जाट निवासीगण सालवा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. गोविन्दसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी सालवा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
2. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री ओमप्रकाश कच्छावाह अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

श्री संग्राम सिंह चौहान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

## निर्णय

दिनांक : 22.08.2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम सालवा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 562 रकबा 5.9947 हैक्टेयर, खसरानम्बर 555 रकबा 3.6324 हैक्टेयर कुल खसरा दो कुल रकबा 9.6271 हैक्टेयर भूमि आई हुई है । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण सावणु फसल की बुवाई करते आये है । प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर दीवार/तारंबदी करवाना चाहते है। वादग्रस्त जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है । जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो व वादग्रस्त भूमि की दक्षिणी तरफ चिपते ही अप्रार्थी सं. एक गोविन्दसिंह की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 563 आई हुई है । प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य स्थित माठ रेतीली भूमि होने से कायम नही हैं इसलिए काश्त के समय प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य विवाद उत्पन्न होता रहता है । प्रार्थीगण व अप्रार्थी के मध्य स्थित माठ की सीमा को लेकर आपस में विवाद रहता है

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी सं. एक से समझाईस के उपरान्त भी उक्त सीमा विवाद का परस्पर निस्तारण नही हुआ है अप्रार्थी सं. एक ने परस्पर सहमती से कृषि भूमि की पैमाईस करवाने से मना कर दिया है । अभी हाल ही में दिनांक 01.01.2019 को अप्रार्थी सं. एक पैमाईस करवाने से स्पष्ट मना कर दिया इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को पत्थरगढ़ी करने हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है । प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढ़ी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देंगे एवं मोमीट्रेस नक्शा उपलब्ध करवा देंगे एवं नियमानुसार कमीश्नर को फीस अदा कर देंगे । अप्रार्थी सं. दो को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार संयोजित किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम सालवा खुर्द में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 562 रकबा 5.9947 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 555 रकबा 3.6324 हैक्टेयर भूमि का नाप चौप किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. एक के मध्य स्थित माठ की सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश फरमावें । तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावें कि वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढ़ी की जावें विवाद की स्थिति में पुलिस इमदाद के जरिये पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमावें ।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये वकील अप्राथी 1 की ओर से वकील संग्रामसिंह चौहान ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार से है कि :– प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कभी भी सुरक्षा हेतु मुटाम या दिवार या तारबन्दी कभी नही चाही है । अपितु प्रार्थी स्वयं अप्रार्थी की खातेंदारीसुदा कब्जाकाश्त सुदा जमीन धीरे–धीरे अपनी जमीन में मिलाने की कोशिश कर रहा है शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है । प्रार्थी द्वारा बदनीयतीपूर्वक अप्रार्थी के कब्जाकाश्त की आराजी में धीरे धीरे खीसकने की प्रकिया करने पर अप्रार्थी ने प्रार्थी को मना किया परन्तु प्रार्थीगण हल्का पटवारी से मिलकर कॉकड़ मुटाम के अलावा अन्य अस्थायी मुटामों से माप कर जबरदस्ती अप्रार्थी की कृषि भूमि को स्वयं में मिलाने पर आमादा है । शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है । अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया जावें कि अप्रार्थीगण के खेत के दक्षिणी दिशा में स्थित स्थायी मुटाम भारतीय रेल्वे की पटरियों के मध्य से अन्य खेतो

उपखण्ड अधिकारी
[जोधपुर

Scanned by CamScanner

को पूरा करते हुए अप्रार्थी के खेत का सही माप व आंकलन मौके पर एवं भौतिक रूप से करवाकर प्रार्थीगण के मुटाम कायम किये जाते है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है । अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार पीपाड़ शहर फोरमल पक्षकार है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व जवाब के आधार यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिये वादग्रसत आराजी का नाप चौप व सीमांकन करवा कर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सालवा खुर्द के खसरा नम्बर 562 रकबा 5.9947 हैक्टयर व खसरा नम्बर 555 रकबा 3.6324 हैक्टयर भूमि का टीम गठित कर नाप चौप व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करावे । अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner